संख्या2५12/उन्तीस(2)/06-(158पे0)/2006

प्रेषक,

कुँवर सिंह,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन,

सेवा में,

मुख्य महाप्रबन्धक,
उत्तरांचल जल संस्थान,
देहरादून।

पेयजल अनुभाग-2

देहरादूनः दिनांक 11 नवम्बर, 2006

विषयः-- वित्तीय वर्ष 2006-07 में राज्य सैक्टर के अन्तर्गत जनपद देहरादून की नगरीय पेयजल योजनाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय पत्र संख्या 3525/03-अ0/धनावटन नगरीय/2006-07 दिनांक 27.10.2006 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद देहरादून की नगरीय पेयजल योजनाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु रू0 60.535 लाख के प्राक्कलन का टी0ए0सी0, वित्त द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी रू0 55.33 लाख (रूपये पच्चपन लाख तेतीस हजार मात्र) के प्राक्कलन पर प्रशासकीय एंव वित्तीय स्वीकृति के साथ ही निम्न विवरणानुसार इतनी ही धनराशि के व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र सं	योजना का नाम	प्रस्तावित अनु0 लागत	वित्त विभाग द्वारा परीक्षणोपरान्त अनुमोदित अनु0 लागत	स्वीकृत की गयी धनराशि
01	किशन नगर, ट्रांस विन्दाल जोन देहरादून में मिनी नलकूप का निर्माण।	13.725	12.45	12.45
02	बनस्थली, ट्रांस विन्दाल जोन देहरादून में मिनी नलकूप का निर्माण।	13.82	12.60	12.60
03	लूनिया मोहल्ला, झण्डाजोन, देहरादून में पाईप लाईन बदलने का कार्य।	32.99	30.28	30.28
	योग	60.535	55.33	55.33

(1) आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नही है अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। तदोपरान्त ही आगणन की स्वीकृति मान्य होगी।

(2) कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के किसी भी दशा में कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

(3) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(4) एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त कार्य टेकअप किया जाये।

(5) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताए तकनीकी दृष्टि के मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्यो को सम्पादित कराना सुनिश्चित करें ।

(6) कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली–भांति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भूगर्ववेत्ता के साथ अवश्य कर लें। स्थलीय निरीक्षण के पश्चात् आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

(7) आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(8) निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाये तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग में लायी जाये।

(9) जी0पी0डब्ल्यू0 फार्म 9 की शर्तों के अनुसार निर्माण इकाई को कार्य सम्पादित करना होगा तथा समय से कार्य पूर्ण न करने पर 10 प्रतिशत की दर से आगणन की कुल लागत का निर्माण इकाई से दण्ड वसूल किया जायेगा।

(10) किसी भी कार्यालय/संस्थाओं के निर्माण को विस्तृत आंगणन गठित करते समय स्वीकृत ज्ञातव्य एवं नार्मस के अनुसार गठित किया जाये तथा उसकी सूचना प्रशासनिक विभाग को भी दे एवं डिग्री कालजों/मेडिकलों के हास्टलो का निर्माण एच0आई0सी0 के मानकों के आधार पर प्रारम्भिक आंगणन गठित किये जाये।

(11) मुख्य सचिव उत्तरांचल के शासनादेश संख्या 2047.XIV–219(2006) दिनांक 30 मई, 2006 द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें ।

2– उक्त स्वीकृत इस शर्त के अधीन है कि जहॉ–जहॉ पर स्रोत सूख गये है वहॉ चालखाल भी बनाये जाय तथा बॉस के वृक्ष लगाये जाये। विभाग श्रोतों की रीचेग कराया जाना सुनिश्चित करेगा। जनपद में सूखे नालो को भी पुनरीक्षित करने का कार्यवाही की जायेगी।

3– उक्त स्वीकृत धनराशि से संलग्नक में उल्लिखित नगरीय पेयजल योजनाओं का सुदृढीकरण उत्तरांचल जल संस्थान द्वारा किया जायेगा। योजनावार स्वीकृत धनराशि के संबंधित शाखा को आवंटन की सूचना धनराशि आहरण के एक सप्ताह के अन्दर शासन को अवश्य उपलब्ध करा दी जाय।

4– स्वीकृत धनराशि का आहरण मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तरांचल जल संस्थान के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी देहरादून के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल देहरादून के कोषागार में प्रस्तुत करके आवश्यकतानुसार ही किश्तों में किया जायेगा । आहरण से सम्बन्धित बाउचर संख्या एवं दिनांक की सूचना शासन एवं महालेखाकार को तत्काल उपलब्ध कराई जाय।

5– स्वीकृत धनराशि से कराये जाने वाले कार्यों पर उत्तर प्रदेश शासन के वित्त लेखा अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या ए–2–87(1) दस–97–17(4)/75 दिनांक 27–02–97 के अनुसार सेन्टेज व्यय किया जायेगा तथा कार्यो की कुल लागत के सापेक्ष पूर्व में व्यय की गई धनराशि में सेन्टेज चार्जेज के रुप में व्यय की गई धनराशि को समायोजित करते हुए कुल सेन्टेज चार्जेज 12.50 प्रतिशत से अधिक अनुमन्य नहीं होगी । कृपया इसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित कर आगणन में सेन्टेज की व्यवस्था उक्तानुसार ही की जाय।

.....3

6-- स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2007 तक का पूर्ण उपभोग करके कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र भी शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

7-- कार्य उक्त लागत में निर्धारित समयावधि में पूर्ण कर लिया जायेगा और इस लागत में किसी भी प्रकार का कोई पुनरीक्षण अनुमन्य नही होगा।

8-- कार्य की गुणवत्ता एंव समयबद्धता हेतु संबंधित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।

9-- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2006-07 में अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-"2215-जलापूर्ति तथा सफाई-01-जलापूर्ति-आयोजनागत-101-शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम-05-नगरीय पेयजल-01-नगरीय पेयजल तथा जलोत्सारण योजनाओं के लिये अनुदान-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता" के नामे डाला जायेगा।

10-- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 1043/XXVII(2)/06 दिनांक 07 दिसम्बर, 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(कुँवर सिंह),
अपर सचिव

पृ0स02५//५/उन्तीस(2)/06-(158पे0)/2006 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2. मण्डलायुक्त गढ़वाल मण्डल।
3. जिलाधिकारी, देहरादून।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
5. प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल पेयजल निगम, देहरादून।
6. वित्त अनुभाग-2/वित्त (बजट सैल)/नियोजन प्रकोष्ठ उत्तरांचल।
7. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
8. स्टाफ आफिसर-मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
9. निदेशक, सूचना एंव लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून।
10. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नवीन सिंह तड़ागी)
उप सचिव